बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसूचना

संख्या-11/न०वि०मा०प्लान (समिति)-17/2014 न०वि० एवं आ०वि०, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम. 2012 की धारा-27 सहपठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड एवं पटना महानगर आयोजना समिति की अनुशंसा एवं सहमति के आलोक में, पटना शहर के सुनियोजित एवं समेकित विकास हेत् पटना मास्टर प्लान, 2031 (प्रतिवेदन, मानचित्र एवं विकास नियंत्रण विनियमावली सहित) तुरन्त के प्रभाव से अधिसूचित करती है।

वर्तमान बिहार भवन उपविधि, 2014 पटना महायोजना क्षेत्र के लिए Development Control Regulation के रूप में प्रभावी होगी, जिसके अध्याय—III, भूमि उपयोग वर्गीकरण और अनुमत उपयोग (Land Use Classification and Permissible Uses) को पटना महायोजना, 2031 में यथा प्रावधानित भूमि उपयोग वर्गीकरण और अनुमत उपयोग (Land Use Classification and Permissible Uses) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-(चैतन्य प्रसाद) प्रधान सचिव.

नगर विकास एवं आवास विभाग.

-11/नoविoमाoप्लान (सिमिति)-17/2014/नoविo एवं आoविo, पटना, दिनांक-..... प्रतिलिपि –अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतू सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

> ह०/-प्रधान सचिव.

ज्ञापांक

−11 / न०वि०मा०प्लान (समिति)−17 / 2014/ न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक—२८ //०//Ь प्रतिलिपि -मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त / बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के सदस्य / महानगर आयोजना समिति के सभी सदस्य / प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना / जिलाधिकारी, पटना / नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, न०वि० एवं आ०वि०/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी 🖊 विभागीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित।

प्रधान सचिव

Government of Bihar Ur; an Development & Housing Department

NOTIFICATION

No. 11/न०वि०मा०प्लान (समिति)—17/2014......, UD&HD, In exercise of the powers conferred by Section-27 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-33 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, and in view of the recommendation and consent of the Bihar Urban Planning & Development Board and Patna Metropolitan Planning Committee, the Government of Bihar hereby notify the Patna Master Plan - 2031 (including Report, Maps and Development Control Regulation) for planned and integrated development of City of Patna with immediate effect.

The existing Bihar Building Byelaws, 2014 shall be effective as Development and Control Regulation for Patna Master Plan area, however its Chapter - III, Land Use Classification and Permissible Uses shall be substituted by Land Use Classification and Permissible Uses as provided in Patna Master Plan -2031.

By the order of Governor,

sd./(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary

It is requested to make available 200 copies of published Gazette to this department for official use.

sd./-Principal Secretary

Memo No. -11/निविव्माव्यान (सिमिति)—17/2014/UD&HD/Patna, dated 28//0//6
Copy to - Chief Secretary Bihar/ Development Commissioner Bihar/Members of the Bihar Urban Planning and Development Board/ All the members of the Metropolitan Planning Committee/ Divisional Commissioner, Patna/ District Magistrate, Patna/ Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation/ P.S to Hon'ble Minister, UD&HD/ concerned Executive Officers and Circle Officers/ All Departmental Officers, UD&HD for information and necessary action.

Principal Secretary